"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 302-अ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 अक्टूबर 2009—आश्विन 17, शक 1931

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
इन्द्रावती खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2009

क्र. 24/चार/वि. स. उप. चु./2009/3576.— भारत निर्वाचन आयोग, नई- दिल्ली का अधिसूचना संख्या 434/छ. ग.-वि. स./2009 एवं 434/छ. ग.-वि. स./2009 (1) क्रमशः दिनांक 9 अक्टूबर, 2009 जिला दुर्ग के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 66-वैशाली नगर के लिये विधान सभा उप चुनाव-2009 संबंधी सूचना सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

सुनील कुजूर,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, तारीख 9 अक्टूबर, 2009—17 आश्विन, 1931 (शक)

अधिसूचना

सं. 434/छ.ग.-वि. स./2009.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग यह निदेश देता है कि तारीख 8 जुलाई, 2008 की उसकी अधिसूचना संख्या 434/छ. ग.-वि. स./2008 में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे, अर्थात्

उक्त अधिसूचना के संलग्न सारणी के स्तम्भ (2) में मद संख्या 66-वैशाली नगर के सामने विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेगी.

सारणी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	रिटर्निंग आफिसर
(1)	(2)
66-वैशाली नगर	अपर कलेक्टर, दुर्ग

आदेश से,

हस्ता./-
(बर्नाड जॉन)
सचिव
भारत निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110001

New Delhi, Dated 9th October, 2009—17 Asvina, 1931 (Saka)

NOTIFICATION

No. 434/CG-LA/2009.— In pursuance of the provisions of section 21 of the Representation of the people Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby directs that following amendment shall be made in its Notification No. 434/CG-LA/2008, dated 8th July, 2008.

In column 2 of the Table appended to the said notification, in place of existing entries against item number 66-Vaishali Nagar the following entries will be substituted.

Number and Name of Assembly Constituency (1)	Returning Officer (2)
66-Vaishali Nagar	Addl. Collector, Durg

By Order,

Sd/-
(BERNARD JOHN)
Secretary
Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, तारीख 9 अक्टूबर, 2009—17 आश्विन, 1931 (शक)

अधिसूचना

सं. 434/छ.ग.-वि. स./2009 (1).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग यह निदेश देता है कि तारीख 8 जुलाई, 2008 की उसकी अधिसूचना संख्या 434/छ. ग.-वि. स./2008 (1) में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे, अर्थात्

उक्त अधिसूचना के संलग्न सारणी के स्तम्भ (2) में मद संख्या 66-वैशाली नगर के सामने विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेगी.

सारणी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम (1)	सहायक रिटर्निंग आफिसर (2)
66-वैशाली नगर	1. डिप्टी कलेक्टर (भू-अभिलेख), दुर्ग 2. डिप्टी कलेक्टर (शिकायत एवं सतर्कता), दुर्ग

आदेश से,

हस्ता./-
(बर्नाड जॉन)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110001

New Delhi, Dated 9th October, 2009—17 Asvina, 1931 (Saka)

NOTIFICATION

No. 434/CG-LA/2009 (1).—In pursuance of the provisions of Sub section (1) of Section 22 of the Representation of the people Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby directs that following amendment shall be made in its Notification No. 434/CG-LA/2008 (1), dated 8th July, 2008.

In column 2 of the Table appended to the said notification, in place of existing entries against item number 66-Vaishali Nagar the following entries will be substituted.

Number and Name of Assembly Counstituency (1)	Assistant Returning Officer (2)
66-Vaishali Nagar	1. Dy. Collector (Land-Record), Durg. 2. Dy. Collector (Complainant Vigilance), Durg.

By Order,

Sd/-
(BERNARD JOHN)
Secretary
Election Commission of India

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.